OFFICE MEMORANDUM

Sub: Air travel on official tour where the cost of air passage is not borne by the Government of India – clarification reg.

The undersigned is directed to refer this Department's O.M. dated 07.06.2016 and 26.07.2016 regarding delegation of powers to Financial Advisors (FAs) of the Ministries/Departments to accord relaxation for travel by airlines other than Air India both domestic and international including individual cases of officials of Central Government and autonomous bodies. Several references have been received in this Department seeking clarification as to whether relaxation is required in case the cost of air passage is not borne by the Government of India.

2. The matter has been examined in this Department and it is clarified that in case the cost of air passage is not borne by the Government of India, relaxation is not required to be obtained from the Financial Advisors of the concerned Ministry/Department.

3. Further clarification, if any, in this regard may be handled by Financial Advisers of the concerned Ministry/Department.

4. This is issued with the approval of Finance Secretary.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

All Ministries and Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to:- C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.
विषय: सरकारी दौरे पर हवाई यात्रा, जहां हवाई यात्रा की लागत भारत सरकार द्वारा वहन नहीं की जाती -
स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षर को इस विभाग के दिनांक 07.06.2016 और 26.07.2016 के कार्यालय ज्ञापनों का संदर्भ
देने का निर्देश हुआ है जो केन्द्र सरकार और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के अलग-अलग मामलों सहित घरेलू
और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्राओं के लिए एयर इंडिया से भिन्न एयरलाइंस से हवाई यात्रा करने हेतु छुट देने के लिए
मंत्रालय/विभागों के वित्त सलाहकारों को शक्तिष्ठता के प्रत्ययोजन के संबंध में है। इस विभाग में यह स्पष्टीकरण
मांगते हुए अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि क्या भारत सरकार द्वारा हवाई यात्रा की लागत वहन न किए जाने के
मामले में छुट प्राप्त करना अपेक्षित है।

2. इस मामले की इस विभाग में जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि हवाई यात्रा की
लागत भारत सरकार द्वारा वहन नहीं की जाती है तो संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकारों से छुट प्राप्त
किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3. इस संबंध में और आगे स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार
द्वारा विचार किया जा सकता है।

4. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(निर्माता देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: भारत के नियंत्रक एवं महामार्क और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठकंपन सूची के
अनुसार)।